(15)

न्यायालय श्रीमान् - राजस्व मण्डल ग्वालियर, (म०प्रदेश)
= =

राजस्व निगरानी प्र०क्र०- I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा.सं./2017/3174 सन- 2017.

पुष्पेन्द्र सिंह तनय मंगल सिंह

नि० वार्ड नंबर-33/38 बेनीगंज मुहल्ला छतरपुर

तहसील छतरपुर जिला छतरपुर म०प्र० ------ निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1. श्रीमती अनीता रावत पत्नी श्री राजेश रावत

नि० सटई रोड छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म०प्र०

2. फैयाज अली

निवासी छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म०प्र०

3. मध्यप्रदेश शासन ------- गैरनिगरानीकर्तागण/ अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म. प्र. भू-रा०सं० 1959.

द्वारा- नजूल अधिकारी महोदय छतरपुर जिला छतरपुर म. प्र. के प्रकरण क्रमांक-64/अ-6/2016-2017 मे पारित आदेश दिनांक- 26. 8. 2017 के विरूद्ध निगरानी ।

छोटेलाल चतुर्वेदी अधि. 06.9.17 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6.9.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

06/09/17

श्रीमान् महोदय,

निगरानीकर्ता/आवेदक सादर निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा भूखण्ड क्रमांक-33/1 नजूल जांच खसरा शीट की 29अ रकबा 100 वर्गमीटर विक्रेता रामदयाल पिता बिन्दावन यादव से क्रय कर नामांतरण हेतु आवेदन नजूल अधिकारी महोदय छतरपुर के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रकरण मे आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी । न्यायालय नजूल अधिकारी महोदय छतरपुर द्वारा आपत्तिकर्ता की आपत्ति दिनांक- 26. 8. 2017 को खारिज कर दी गयी जिससे दुखित होकर यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की गयी है :-

निगरानी के आधार

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3174

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/05/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि नजूल जांच खसरा नंबर छतरपुर सीट क्र. 29-अ, भू-खण्ड क्रमांक 33/1 रकवा 100 वर्गमीटर रामकिशन, रामदयाल पिता विन्द्रावन यादव के नाम दर्ज है, जिसके संबंध में कलेक्टर छतरपुर द्वारा आदेश दिनांक 30.01.85 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में पारित आदेश अंतिम एवं स्थिर होने से आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त करने में नजूल अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	